

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

**कर समाहितकरण योजना (Tax Composition Scheme) के अधीन समिलित
व्यवसायियों के लिए विशेष सूचना।**

कर समाहितकरण योजना (Tax Composition Scheme) में समिलित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यवसायियों को कर समाहितकरण योजना के अधीन बने रहने के लिए झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 60 के अधीन प्रावधानित विहित नये प्रपत्र JVAT 119 में विकल्प देना आवश्यक है।

विभिन्न व्यवसायिक संघों तथा निबंधित व्यवसायियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत वाणिज्य—कर विभाग द्वारा प्रासंगिक बिन्दु पर पूर्व सूचित विस्तारित तिथि 15 अगस्त, 2015 को पुनः बढ़ाते हुए दिनांक 30 नवम्बर, 2015 किया जाता है।

अतः सभी निबंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कर समाहितकरण योजना (Tax Composition Scheme) में बने रहने (Continue)/हटने (Withdraw) के लिए विहित प्रपत्र JVAT 119 में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) **दिनांक 30 नवम्बर, 2015** तक आवश्यक रूप से देना सुनिश्चित करें। व्यवसायियों द्वारा JVAT 119 दाखिल करने संबंधित मैनुअल विभागीय वेबसाईट www.jharkhandcomtax.gov.in पर उपलब्ध है।

किसी प्रकार की समस्या होने पर विभागीय HELP DESK दूरभाष संख्या **0651-6066005 {IVRS}** (सुबह 10:00 से संख्या 07:00 बजे तक) तथा संध्या 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक मोबाइल संख्या—**7762837076** एवं **7762837078** पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

वाणिज्य—कर विभाग
झारखण्ड सरकार